(4)

शासनादेश सं० 2490/III-2/08-61 (प्रा०आ०) /07 दि० 25/3/08

43.	अल्मोड़ा मे सौज–ढटवाल गॉव मोटर मार्ग निर्माण	2.50	87.50	87.50	[illegible]
44.	अल्मोडा में मजखाली–दिगोटी मोटर मार्ग मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	[illegible]
45.	अल्मोडा में द्वारसौं काकडी घाट मोटर मार्ग से दुरकोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण	3.00	105.00	105.00	[illegible]
46.	अल्मोडा मे विकास खण्ड लमगडा के अन्तर्गत टकौली बैण्ड से बडयूडा–बलमा मोटर मार्ग का नव निर्माण	17.00	595.00	595.00	[illegible]
47.	चमोली में मींग गधेरा–गडकोट मोटर मार्ग का करचूड़ा तक विस्तार तीन सेतुओं सहित		227.34	227.34	[illegible]
48.	चमोली मे नन्दप्रयाग–देवखाल मोटर मार्ग के किमी0 3.00 से ग्राम दादर तक मोटर मार्ग का निर्माण		119.28	119.28	[illegible]
49.	चमोली मे ग्राम कस्बीनगर तक मोटर मार्ग का सुधारीरण एव डमरीकरण	5.00	105.00	105.00	0.10
50.	चमोली मे हरमनी–करच्यूडा मोटर मार्ग का नव निर्माण	8.00	294.00	294.00	0.10
51.	चमोली मे जिलासू–आली मोटर मार्ग का विस्तार	6.00	220.50	220.50	[illegible]
52.	कर्णप्रयाग के अन्तर्गत शिमली चुलाकोट बैनीताल मोटर मार्ग के किमी0 10 से बनियास हेतु मोटर मार्ग निर्माण	5.00	183.75	183.75	0.10
53.	गैरसैंण के अन्तर्गत खेती बेडी छिमटा मोटर मार्ग का ग्राम रीठा मंगनी तक विस्तार	10.00	455.37	455.37	[illegible]
54.	विकास खण्ड घाट में सितैल से ग्राम प्राणमती तक मोटर मार्ग निर्माण	10.00	367.50	367.50	[illegible]
55.	चमोली के अन्तर्गत उज्जवलपुर से बेनोली तक मोटर मार्ग का विस्तार	10.00	367.50	367.50	[illegible]
56.	टिहरी के जाखणीधार में जीरो ब्रिज से गडूगाडमयू चोपड़ा सैण पिपोला मोटर मार्ग निर्माण	4.00	140.00	140.00	0.10
57.	[illegible]	5.00	[illegible]	175.00	0.10
58.	उत्तरकाशी में मोरी–मोताड मोटर मार्ग का निर्माण	3.00	105.00	105.00	[illegible]
59.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड़ में बड़ेथी–बनचौरा मोटर मार्ग से डांडा गाव मोटर मार्ग का निर्माण		110.25	110.25	[illegible]
60.	उत्तरकाशी में चिन्यालीसौड में सिलक्यारा–बनगॉव–चापड़ा– सरोट मोटर मार्ग से बनोटपल्ला मोटर मार्ग का निर्माण		147.00	147.00	[illegible]
	कुल योग		14621.83	14602.48	[illegible]

(रू0 छः लाख मा

प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

मुख्य अभियन्ता स्तर-I
लोक निर्माण विभाग
देहरादून

अधीक्षण अभियन्ता

लो०नि० वि० उत्तरकाशी

पत्रांक 1558 20 जन0-3/08 दि० 28/3/08

प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

(1) मुख्य अभि० ग० / क्षे० पौड़ी / अल्मोड़ा

(2) अधी० अभि० प्रथम / द्वितीय / तृतीय / देहरा० / अष्टम / ...

पिथौरागढ़ / उत्तरकाशी / गोपेश्वर / अल्मोड़ा

(3) प्राविधिक / बजट शाखा।

Photo Copy Attes[illegible]

Assistant [illegible]
C.D P.W.D [illegible]
Uttarkas[illegible]

राज्य सेक्टर/आयोजनागत

संख्याः-2430/ III (2)/08-61(प्रा0आ0)/2007

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
राखण्ड शासन।

सेवा

अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून, दिनांक 25 जुलाई, 2008

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-2009 में अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत 60 नये कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना के अर्न्तगत उपलब्ध कराये गये 60 कार्यो के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये कुल 60 कार्यों के आगणनों लागत रू0 14621.83 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गई धनराशि रू0 14602.48 लाख की धनराशि की लागत के आगणन की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिए सम्मुख कालम-06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष 2008-09 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

उक्त स्वीकृति के सापेक्ष संलग्न सूची में वर्णित रू0 1.00 करोड से अधिक लागत के कार्यो पर विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.5.2008 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शासन स्तर से कार्यवाही के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी कार्यों के लिये सक्षम प्राविधिक स्वीकृति भी प्राप्त करा ली जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं कार्यो जायेगा जिसके लिये यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

कार्य कराने से पूर्व समस्त वांछित औपचारिकताऐं पूर्ण कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचिलित विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराना सुनिश्चित किया जाये।

यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी हो तो उस कार्य हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने प्रत्येक कार्य के आगणनों / पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एंव वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
C.D. P.W.D. Purola
Uttarkashi

(12) (11)

(6)

(2)

-2-

विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2009 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाये। कार्य करातं समय टैण्डर तद्विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाये। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर कार्य पूर्ण होता है तो ऐसी समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाये।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य के निमित्त पूर्व में किन्हीं अन्य बचत से धनराशि स्वीकृत हुई हो तो उसका विवरण शासन को देकर अवशेष धनराशि का ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

9– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–2008 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 लेखाशीर्षक–5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडकें आयोजनागत-- 800 अन्य व्यय–02 अनुसूचित जातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान –02 नये कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नाम डाला जायेगा।

10. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–यू.ओ.-673(3)/XXVII(2)/2008, दिनांक 25 जुलाई 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– 60 कार्यो की सूची।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या–2490(1)/III–(2)/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौडी/नैनीताल।
3– सचिव, समाज कल्याण (नियोजन प्रकोष्ठ), उत्तराखण्ड शासन।
4– समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5– मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी/अल्मोडा।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
7– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
C.D P.W.D Purola
Uttarkashi

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पृ0सं0 2390/120 सी-6/08 दिनांक 06/8/08

प्रतिलिपि - संलग्नकों की प्रति सहित अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0 वि0 पुरोला उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
संलग्न : यथोपरि।

प्रतिलिपि - यातायात (स0) को बजट वर्ग प्रो0 वर्ग हेतु कार्यालय से गए संलग्नकों सहित
संलग्न : यथोपरि

प्रति - प्रान्त कार्यालय की पत्रावली सं0 1083 सी-6/08 हेतु
संलग्न : यथोपरि

अधीक्षण अभियन्ता
[illegible]

शासनादेश संख्या: 2490 / III-2/08-61(प्रा.आ0)/2007 दिनांक 25 जुलाई, 2008 का संलग्नक

क.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	लागत (लाख रू0) में	टी.ए.सी. वित्त द्वारा स्वीकृत धनराशि	व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	रूद्रप्रयाग में ग्राम कुणजेटी हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	73.50	73.50	0.10
2.	रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी विकास खण्ड में खांकरा–पौड़ीखाल–गहड़खाल मोटर मार्ग से मरगॉव सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
3.	रूद्रप्रयाग के अगस्तमुनी वि0ख0 में शिवनन्दी से सिम्तोली मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नव निर्माण	4.00	147.00	147.00	0.10
4.	रूद्रप्रयाग के वि0ख0 जखोली में आश्रम से घरडा–मखेत मोटर मार्ग का ग्राम कोटी तक विस्तार	6.00+ 45मी0 सेतु	358.00	358.00	0.10
5.	रूद्रप्रयाग में डुंगर बैण्ड से सिल्ला बामणगॉव तक हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन	2.00	56.70	56.70	0.10
6.	रूद्रप्रयाग में कमसाल जगोठ (अम्बेडकर ग्राम) गणेशनगर मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं पक्कीकरण	4.25	89.25	89.25	0.10
7.	रूद्रप्रयाग में कणसिल–जाबरी–कान्दी हल्का वाहन मोटर का मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं डामरीकरण	1.00	28.35	28.35	0.10
8.	नैनीताल में देवलचौड़ आनन्दपुर चौकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधार	2.500	88.25	76.65	0.10
9.	नैनीताल में चोरगलिया के देवपुरा–सनवाल क्षेत्र के आन्तरिक सम्पर्क मार्ग	2.00	56.00	56.00	0.10
10.	नैनीताल में चोरगलिया के धरमगढ़ क्षेत्र के आन्तरिक मार्ग का निर्माण	2.00	56.00	56.00	0.10
11.	चम्पावत में किमतोली रौसाल मोटर मार्ग के पिलखी लिंक मोटर मार्ग विण्डा तिवारी तक विस्तार	5.00	175.00	175.00	0.10
12.	चम्पावत में किमतोली पुल्ला मोटर मार्ग से टम्टा काण्डे तक मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	210.00	210.00	0.10
13.	चम्पावत में सिप्टी–नायड़ी मोटर मार्ग का विस्तार	4.00	140.00	140.00	0.10
14.	चम्पावत में नरसिंह डांडा–गुरौली (कैन्यूरा) मोटर मार्ग के किमी0 7 से बाईपास मार्ग निर्माण	5.00	175.00	175.00	0.10
15.	चम्पावत में टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग का नव निर्माण	3.00	105.00	105.00	0.10
16.	बागेश्वर में दुदीला–अमोली–महरपाल मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	387.70	387.10	0.10
17.	बागेश्वर में हरिनगरी–पय्या मोटर मार्ग का हड़ापडाबू तक विस्तार	10.00	473.11	473.11	0.10
18.	बागेश्वर में क्रज्यूली–कोटफुलवारी–पडियार खेत मोटर मार्ग का नव निर्माण	5.00	400.55	400.55	0.10
19.	बागेश्वर में मच्छीबगड–ग्वालदे तक मोटर मार्ग का निर्माण	10.00	517.50	517.50	0.10

Photo Copy Attested

Assistant Engineer